

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा संख्या
54/2020

रजू दिनांक
10.07.2020

पर्चा डिक्री दिनांक
16.02.2021

उनवान

- 1 मनेन्द्र पुत्र मानपाल उम्र करीब 17 साल जाति जाट निवासी जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 जरिये माता शकुन्तला देवी
- 2 सुजाता पुत्री मानपाल उम्र 19 साल जाति जाट निवासी जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादी

बनाम

1. मानपाल पुत्र जुगलकिशोर निवासी जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावा 88, 89 व 188 राज0 कास्त0 अधि0 1955

—: पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री अशोक चौधरी एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री बस्तीराम यादव एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 16.02.2021 को श्री रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और पर्चा डिक्री दी जाती है:-

“ उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के आराजी खसरा नम्बर 347/0.25, 1118/0.32 हे0 वाके ग्राम जसाई तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के वाद स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उपरोक्त विवादित आराजीयात के 1/3, 1/3 भाग का वादिगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादीगण के उक्त हिस्से आराजी की हद तक हाल राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादी सं0 01 के नाम हो रहे नाम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रतिवादी सं0 1 को हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है। वो उक्त वर्णित आराजी को कही, रहन, बय आदि से मुन्तकिल नही करे ना ही किसी भी प्रकार से वादीगण के काश्त कार्य मं किसी भी प्रकार से मजाहमत ही पैदा करे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकोर्ड में अमल दारमद किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.02.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

रामसिंह राजावत
मुण्डावर जिला अलवर राज0

